

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 38
व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1.80	72.46	74.26	3.30	84.00	87.30	2.31	102.96	105.27	3.00	96.97	99.97	
पूँजी	3.20	...	3.20	7.20	26.35	33.55	7.20	...	7.20	2.00	...	2.00	
जोड़	5.00	72.46	77.46	10.50	110.35	120.85	9.51	102.96	112.47	5.00	96.97	101.97	
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2052	...	50.99	50.99	...	55.45	55.45	...	52.28	52.28	...	55.91	55.91
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
2. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना	2070	1.80	1.40	3.20	3.30	1.40	4.70	2.31	1.40	3.71	3.00	1.40	4.40
3. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान का विकास	4070	3.20	...	3.20	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	2.00	...	2.00
4. सिविल लेखा संगठन प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी लेखा और वित्त संस्थान)	2070	...	3.12	3.12	...	3.14	3.14	...	3.27	3.27	...	3.65	3.65
5. एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान	2070	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को सेवा प्रभार	2070	...	16.94	16.94	...	24.00	24.00	...	46.00	46.00	...	36.00	36.00
7. लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नई स्थान व्यवस्था	4059	26.35	26.35
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		5.00	21.47	26.47	10.50	54.90	65.40	9.51	50.68	60.19	5.00	41.06	46.06
कुल जोड़		5.00	72.46	77.46	10.50	110.35	120.85	9.51	102.96	112.47	5.00	96.97	101.97
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	5.00	...	5.00	10.50	...	10.50	9.51	...	9.51	5.00	...	5.00

1. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालयी व्यय के लिए है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की अतिरिक्त अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

2. यह प्रावधान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त एवं लेखा अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए है।
<http://indiabudget.nic.in>

4. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान एशियाई सरकारी लेखा संगठन संघ हेतु अंशदान के लिए है।
6. यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभागों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।